न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 95/2019 दायरा दिनांक : 15/10/2019

अनवान् :–

1. रवि सिंह
2. कुलविन्द्र सिंह

} पुत्रगण श्री मघर सिंह जाति जटसिख निवासी मलवाला तहसील तलवण्डी सावो जिला बठिण्डा हाल उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––– प्रार्थीगण

बनाम्

1. भरपूर सिंह पुत्र श्री लखेसर जाति जटसिख निवासी वार्ड सं. 19, सादुलशहर हाल मुक्तसर तहसील व जिला मुक्तसर, पंजाब।
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री चड़त सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड सं. 19, सादुलशहर हाल मुक्तसर तहसील व जिला मुक्तसर, पंजाब।
3. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :–

1. श्री अशोक छाबड़ा – वकील प्रार्थीगण
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा – वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. पैरोकार राज।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 26.02.2024

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा अपना उक्त अनवान को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही उदयपुर तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की संयुक्त खाता की भूमि में से प. नं. 96/38 का किला नं. 1, 2 ता 9, 10, 11, 12 ता 15 की 3.720 हैक्टयर में से 1.443 है0 बारानी भूमि पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 25.07.2019 द्वारा गुरमन्द्र सिंह पुत्र श्री जालौर सिंह जाति जटसिख निवासी सादुलशहर से खरीद की हुई है। जो कि नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 05.08.2019 द्वारा प्रार्थीगण के नाम से अंकित खातेदारी है। उक्त विक्रेता के द्वारा प्रार्थीगण को बैयनामा के बाद अपने कब्जा काश्त की भूमि प. नं. 96/38 कि. नं. 1 ता 6 की 1.443 है0 भूमि का मौका पर कब्जा करवा दिया जिसे प्रार्थीगण ने अपनी मेहनत मुश्कत से सुधारा है। प्रार्थीगण की ूामि के चिपते प. नं. 96/37 में पिता मघर सिंह की भूमि है जिसमें टयूबवैल लगा हुआ है जिससे सिंचाई कर भूमि में नरमा, कपास व ग्वार की फसल फव्वारा सिस्टम से होती है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि खरीद करने के पश्चात आज तक काश्त नहीं की, उनके कब्जा की भूमि मौका पर खाली पड़ी है। अप्रार्थीगण चतुर, चालाक तथा खुंखार किस्म के झगडालू व्यक्ति हैं। अब प्रार्थीगण की सुधारी हुई भूमि की काश्त देखकर बदयन्त हो गये और प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने की नियत से दिनांक 11.09.2019 को मौका पर आकर एलानिया धमकी दी कि प्रार्थीगण अपनी भूमि का कब्जा छोड़ दे वे अपने साथ गुण्डे लेकर आये तथा पुलिस थाना राजियासर में भी उन्होंने इस्तदुआ की तब दिनांक 11.09.2019 को पंचायत की मीटिंग रखी गई लेकिन कोई हल नहीं निकलने पर पुनः दिनांक 13.09.2019 को तारीख रखी, थाने से बाहर आते ही उन्होंने प्रार्थीगण को धमकाना शुरु कर दिया व एलानिया धमकी दी कि हम बातचीत से नहीं हथियारों से लैस होकर आयेंगे। प्रार्थीगण की भूमि पर यदि जबरन कब्जा कर लिया तो उन्हें ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण संयुक्त खाता में अंकित अपने कब्जा काश्त वाली भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है। यदि खाता विभाजन के वाद के निर्णय से पूर्व प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त वाली भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद–पत्र पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का बनता है और सुविधा व संतुलन का पक्ष भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि रोही उदयपुर मुसलमान के प. नं. 96/38 कि. नं. 1 ता 6 की 1.443 है0 में किसी भी प्रकार से मदालखत बेजा नहीं करे, मौका पर शान्ति बनाये रखने का आदेश तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को जारी किया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीण जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के द्वारा जरिये वकील हाजिर होकर अपना जवाब प्रार्थना–पत्र मय आपत्तियों के प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि चक/ग्राम उदयपुर मुसलमान तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में संयुक्त खाता में प. नं. 96/38 के कि. नं. 1 ता 15 में 3.720 हैक्टयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से 1.443 हैक्टयर हिस्सा प्रार्थीगण और 2.277 हैक्टयर बारानी अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम से अंकित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पूर्व में मोहम्मददनी पुत्र अदरीश के नाम से अंकित थी जिसमें बैयनामा दिनांक 26.09.2012 द्वारा प्रार्थीगण के विक्रेता गुरमन्द्र सिंह पुत्र जलौर सिंह निवासी सादुलशहर ने 1.443 है0 भूमि खरीद की थी। जिसका प. नं. 96/38 कि. नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12 = 1.443 है0 पर कब्जा था और इसी भूमि का कब्जा गुरमन्द्र सिंह द्वारा विक्रेता द्वारा प्राप्त किया गया था और दिनांक 25.07.2019 को गुरमन्द्र सिंह के द्वारा 1.443 है0 हिस्सा का बैयनामा प्रार्थीगण को करवाकर अपने कब्जा काश्तवाली उक्त भूमि का कब्जा दिनांक 28.08.2019 को उन्हें सौंपा गया था। जिसकी बाबत एक 50/– रुपये के मुद्रांक पर शपथ–पत्र भी प्रार्थीगण को सौंपा हुआ है। जो कि असल प्रार्थीगण के पास है। उक्त शपथ–पत्र की चित्रप्रति गुरमन्द्र सिंह से अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त कर अपने जवाब के साथ पेश की हुई है। उक्त मोहम्मददीन पुत्र अदरीश से खाता 3.720 है0 में शेष भूमि 2.277 है0 हिस्सा राजप्रीत कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी के द्वारा खरीद की थी जिनसे यह भूमि बैयनामा दिनांक 08.03.2013 के द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के द्वारा खरीद की हुई है। जिस पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। समस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जो प्रस्तुत दस्तावेज बैयनामों, शपथ–पत्र और जमाबन्दी की नकलों से साबित है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर असत्य कथन करते हुये अपना प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। बिना विशिष्ट भूमि पर कब्जा के वे सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और सुविधा व संतुलन का पक्ष भी प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में है। प्रार्थीगण स्वयं द्वारा ग्राम उदयपुर मुसलमान में स्थित संयुक्त खाता की भूमि के नजदीक स्थित व अन्य राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के रुप में कब्जा कर रखा है ये स्वयं ऊँची राजनैतिक पहुंच वाले समृद्ध शक्तिशाली और झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं। जिनसे ग्राम के सीधे सादे काश्तकार भय रखाते है। इसी का फायदा उठाकर प्रार्थीगण स्थगन की आड़ में कब्जा करना चाहते है। यदि ये अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। ये स्वयं ग्राम में नहीं रहते हैं इनके द्वारा अपनी भूमि ठेका पर देकर काश्त करवाई जाती आ रही है। संयुक्त खाता की भूमि में केवल 8–00 बीघा में ही पानी लगता है शेष भूमि रेतीली ऊँची नीची टिलोंवाली है। इसलिये प्रार्थीगण स्वयं बदयन्त है वे केवल अच्छी समतल भूमि पर स्थगन प्राप्त कर काबिज होना चाहते हैं जो कि गलत व नियम विरूद्ध है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिसमें प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी नहीं किया जा सकता और प्रार्थीगण द्वारा सही तथ्यों व कब्जा प्राप्ति बाबत गुरमन्द्र सिंह से प्राप्त शपथ–पत्र को छिपाते हुये अपना प्रार्थना–पत्र बिना स्वच्छ हाथों के पेश किये जाने के कारण इसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने के पश्चात उस पर मनन करते हुये पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। चक उदयपुर गोदारान के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2064 की संयुक्त खाता संख्या 01 व चालू जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 की संयुक्त खाता संख्या 32 नई 01 पुरानी में मु. नं. 33 प. नं. 96/38 किला नं. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/1, 12 ता 15 की कुल 3.720 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 के नाम से 721/3720 हिस्सा यानि 0.721 हैक्टयर, प्रार्थी सं. 2 के नाम से 361/1860 हिस्सा यानि 0.722

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हैक्टयर और अप्रार्थी सं. 1 के नाम से 569/1860 हिस्सा यानि 1.138 हैक्टयर एवं अप्रार्थी सं. 2 के नाम से 1139/3720 हिस्सा यानि 1.139 हैक्टयर अंकित है। जिससे प्रथम दृष्टया साबित है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने उक्त अंकित हिस्सानुसार संयुक्त खाता की भूमि में सहखातेदार है। प्रार्थीगण के द्वारा प. नं. 96/38 के कि. नं. 1 ता 6 की 1.443 हैक्टयर बारानी खातेदारी विशिष्ट भूमि पर अपना कब्जा बताते हुये इसमें मदालखत बेजा ना करने का अनुतोष अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अपने इस प्रार्थना–पत्र में चाहा गया है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के द्वारा उक्त समस्त विशिष्ट किलाजात की 1.443 है0 भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का होने से अस्वीकार करते हुये प्रार्थीगण को भूमि के विक्रेता द्वारा इन्हें प. नं. 96/38 किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12 की 1.443 हैक्टयर बारानी भूमि का कब्जा बैयनामा करवाकर दिनांक 28.08.2019 को लिखकर सौंपे गये शपथ–पत्र के माध्यम से दिया होना शपथ–पत्र की चित्रप्रति गुमरन्द्र सिंह विक्रेता से प्राप्त करना बताया गया है। यह असल दस्तावेज शपथ–पत्र प्रार्थीगण के पास है जो कि प्रार्थीगण द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण और अप्रार्थी सं. 1 व 2 सहखातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित विशिष्ट भूमि पर कब्जा होने का तथ्य किसी भी खेत पड़ौसी या अन्य ग्राम के काश्तकारान के शपथ–पत्रों और किसी भी दस्तावेज द्वारा साबित नहीं किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार अपने हिस्सा तक प्रत्येक इंच का हिस्सेदार होता है। प्रार्थीगण स्वयं अपने द्वारा भूमि के विक्रेता से कब्जा प्राप्त विशिष्ट भूमि के सम्बन्ध में गुरमन्द्र सिंह द्वारा लिखकर दिये गये शपथ–पत्र को इस न्यायालय से छिपाकर आये है, जिससे वे अनुतोष प्राप्त कर सके। जो कि गलत व विधि विरूद्ध है। न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह समस्त तथ्य न्यायालय की जानकारी में लाये। जो व्यक्ति अदालत के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं होता है वह किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधि अनुसार अधिकारी नहीं होता है। प्रार्थीगण भी स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुये है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित विशिष्ट भूमि पर अपना कब्जा साबित नहीं कर पाने से प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं कर पाये है और मेरी राय में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 सहखातेदार है इसलिये अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध स्थगन द्वारा उन्हें पाबन्द किया जाना और उनके विधिक अधिकारों से वंचित करना विधि अनुसार कतई उचित नहीं है। स्वयं प्रार्थीगण स्वच्छा हाथों से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये हैं। इन्होंने जानबूझकर अपने बैयनामा में अंकित विक्रेता द्वारा कब्जा के सम्बन्ध में दिये गये शपथ–पत्र को न्यायालय से छिपाया गया है। इस कारण से भी इन्हें कोई अनुतोष प्रदान किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने और सुविधा व संतुलन का पक्ष प्रार्थीगण के स्थान पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पख में होने एवं अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीगण के स्थान पर अप्रार्थीगण को होने की पूर्ण संभावना होना प्रतीत होती है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)